



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission



Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन हर घर जल

ग्राम कार्ययोजना (वी०ए०पी०)

आर्यावर्त सेवा एवं विकास संस्थान, लखनऊ

जल संबंधी सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में सहद करती है। ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०उ०ल्ल०प०ए०स०सी० / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और डी०उ०ल्ल०प०ए०स०ए०म०को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित का जाती है।

- आई०ए०स०ए० द्वारा मार्गदर्शन / सहायता प्रदान किया जाना है।

1. तैयारी की तारीख **०८/०९/०२** उपस्थिति ग्रामवालियों की रोपण - ५०

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख **१३/०९/०२**
डी०उ०ल्ल०प०ए०स०सी० और प्रस्तुत किये जाने की तारीख

2. ग्राम का नाम **पन्चरुरी**

ग्राम घटनायत का नाम **फरेंटा** पंचलकी

जनपद का नाम **महाराजगंज**

राज्य का नाम **उत्तर प्रदेश**

ग्राम जनगणना कोड़

यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम

I. ग्राम पंचायत सकल्प

3- ग्राम समुदाय की आकांक्षा **५** संख्या, मध्ये श्री कुड़ों को और **१५** संख्या, कपड़ा धोने / स्नान करने के स्थनों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् **१०** घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले **एल०पी०सी०डी०** जल की आपूर्ति वर्ष **तक** ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिये **एफ०एच०टी०सी०** प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अतग्राम जल आपूर्ति अवसंरक्षना के अपनत्व, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें सदृष्टि नहीं करेंगे। हम अपने गंदे जल की व्यवस्था करेंगे और भीठे / साफ जल को बचायेंगे।

यह सकल्प लियों जाता है कि पूजी / लागत का **१०** प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबन्धन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र **पी०ए०च०डी०** / आर०उ०ल्ल०प०ए०स० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II- ग्राम पंचायत और / या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०उ०ल्ल०प०ए०स०सी० / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4- कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेंगी?

ग्राम पंचायत और / या उप-समिति **पन्चरुरी**

समिति को क्या कहा जाता है **ग्राम पेपजल रख संचालन समिति**

समिति के जनसंख्या का नाम **वैचान प्रभारी**

विवरण **पु**

आयु **५५**

क्र०स०	सदस्य का नाम	लिंग	आयु	जाति	अन्य विवरण
१	वैचान प्रभारी	मु०	५५	OBC	अंडपुरी
२	विश्वाल वर्मा	५		८	सांचेव
३	जीतून रुपा	८		८	कौषाणधा
४	रामला	म०		SC	सर्वपुरी
५	लक्ष्मा रुपा	८		OBC	८

६	रमाकुनी	५०	०८८	५८८४
७	सरोज	८	॥	॥
८	केशरी	॥	॥	॥
९	माया	॥	॥	॥
१०	रामा	५०	॥	॥
११	चंद्र अूष्मा भद्र	॥	॥	॥
१२	पिपकु	५०	॥	॥
१३	पमिला	॥	॥	॥
१४				
१५				

III- सामान्य विवरण

६- 2011 की जनगणना के अनुसार

जनसंख्या	२३५६	वर्तमान पचायत/अंगनवाड़ी रिकार्ड के अनुसार
परिवारों की संख्या	३६९	जनसंख्या २८२५
महिलाओं की संख्या	१५४	परिवारों की संख्या ५१०
पुरुषों की संख्या	१०९५	महिलाओं की संख्या १८६
बच्चों की संख्या	३०७	पुरुषों की संख्या १२१९
एफ०एच०टी०सी० की संख्या		बच्चों की संख्या ३९९
		एफ०एच०टी०सी० की संख्या

७- जनसंख्या अनुमान

मध्यवर्ती चरण — वर्तमान से १५ वर्ष वर्तमान जनसंख्या से १८ प्रतिशत वृद्धि १०४५१

किलोमीटर/दिन के ०१८००० अंतिम चरण वर्तमान से ३० वर्ष वर्तमान जनसंख्या में ३२ प्रतिशत वृद्धि २०६७०५
किलोमीटर/दिन के ०१८०००

८- वर्तमान मध्यवर्ती संख्या पशुपालन रिकार्ड १५५

९- कृषि फसल पैटर्न रवीन, रवी

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना		
धान	✓	
मक्का		
कपास		
गोहू		✓
अन्य		

१०- औसत जल वर्षा मिलीमी में १३१९ M

११- स्पलाकृति समतल, छलान, आदि छलान

IV- स्थिति विश्लेषण

१२- क्या सासाधन मानविक्रिया किया गया है? हाँ / नहीं नहीं

१३- ग्राम कार्यगायोजना के साथ मानविक्रिया संलग्न करें

क्या सामाजिक मानविक्रिया किया गया है? हाँ / नहीं नहीं

ग्राम कार्यगायोजना के साथ मानविक्रिया संलग्न करें

14-

ब्र० स्ट०	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफ०एच०टी०सी० उपलब्ध है? हाँ/नहीं	क्या वर्षा जल संवर्धन संस्थान उपलब्ध है? हाँ/ नहीं	सेखा गड्ढों की उपलब्धता? हाँ/ नहीं
--------------	-------------------------	--	---	--

	स्कूल	प्रदी	नदी	नदी
1	स्कूल			
2	आगनवाडी	।।	।।	।।
3	स्वास्थ्य केन्द्र	।।	।।	।।
4	ग्राम पचायत भवन	।।	।।	।।
5	अन्य	।।		

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता:

15- पानी की वर्तमान आवश्यकता 156311 जनसंख्या दर 55 के ० एल०५१० प्रति घण्टी

म्बेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता के ० एल०५१०

न्हेशी कुड़ों की आवश्यक संख्या ५

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 55 के ० एल०५१०

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर 55 के ० एल०५१०

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16- गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चकवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति

17- आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, बैंग गाड़ियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18- पानी की आपूर्ति से संबंधित आशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करनेका इतिवृत्त

19- जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

20- फील्ड परीक्षण किट/वायल का संपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें

21- सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख

22- जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता स्रोत का नाम अवस्थिति

स्रोत	मापदण्ड	स्रोतका	परिणाम
गदगी	दृश्य तुलना		
पीएच	पट्टी रंग तुलना		
पूर्ण लवणता	टिटीमेटिक विधि		
पूर्ण क्षारीयता	टिटीमेटिक विधि		
क्लोराइड	टिटीमेटिक विधि		
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना		
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना		
अवशिष्ठ क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना		
आयरन	दृश्य रंग तुलना		
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना		
फलोराइड	दृश्य रंग तुलना		
आर्सेनिक हाट स्पाट में	दृश्य रंग तुलना		

कपड़े धोने/ स्नान करने का स्थान

- 23- यह संभावना है कि गांव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने/स्नान करने के लिए या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं _____

अनस्थिति का नाम	धरों की संख्या	आबादी
टाटा-पुर	15	88

छोत राज्याधिक

- 24- भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संस्थान है? हाँ/ नहीं
- 25- गव मे उन मौजूदा जल भवारों की सूची जिनका काया कल्प/मरम्त कार्य किया जाना आवश्यक है।
गदे जल का प्रबन्धन
- 26- उत्पन्न गंदा जल जल आपूर्ति का 85 प्रतिशत के ०५१००५५ अलग-अलग सोख्ता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोख्ता गड्ढों की आवश्यकता है

आवश्यक सामुदायिक सोख्ता गड्ढों की संख्या

क्या अपशिष्ट तलाघ तालाब की आवश्यकता है? हाँ / नहीं

यदि हाँ तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है

यदि नहीं तो गंदे जल के प्रबन्धन के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए

III- जल आपूर्ति योजना

- 27- निम्नलिखित मे से किस श्रेणी के तहत एफ०एच०टी०स० प्रदान करें जाएंगे

- * अतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एनज्यार०टी०इल्डब्ल्य००प० के तहत शुल्क की गयी योजनाओं की रेटेफिटिंग
- * पूर्ण हो चुके आर० डब्ल्य००एस० की रेटेफिटिंग ताकि इसे ज००ज००एम० के अनुकूल बनाया जा सके
- * निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल / पिंड वाटर/ स्थानीय या घरानीय जल वाले गांवों मे पुस०वी०एस० ✓
- * शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों मे एस०वी०एस०
- * वाटर पिंड/ क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एस०वी०एस० ✓
- * मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी०डब्ल्य००एस० जो एकान्त/ आदिवासी बस्तियों मे स्थित हैं।

- 28- अभिनिर्धारित जल छोत तमाम॑ अ/ध/प्रि० तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना मे पहुंच रख भूमि अवाहित इस योजना के लिए

अभिनिर्धारित भूमि
को सौंप दी जाएगी

राज्य सरकार का हिस्सा

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पीपुल्चर्टइंडी/आरडब्ल्यूएस०
योजना की लागत **DPR के अनुसार** मारत सरकार का हिस्सा
ग्राम पंचायत/समुदाय का हिस्सा

आधिकारित 10%:

व्यक्तिगत/घरेलू आशादान

मानिक जल आपूर्ति शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क **50/100**

व्यक्तिगत/घरेलू आधिकारित वर्तमान व रख-रखाव शुल्क **50-100** व्यक्तिगत/घरेलू

कोई दूरस्थ बराबर हो तो, अभिनिर्धारित

पीडब्ल्यूएस०

III- मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधिया जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवां वित्त आयोग ✓	ग्राम पंचायत ✓	गै-जाटर मैनेजमेंट, डेरेनेज सिस्टम आदि।	राज्य वित्त
स्वच्छ भारत मिशन एस०बी०एस०-जी०	प्रजल एव स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मन्त्रालय ✓	गै-जाटर मैनेजमेंट, सोखता गड्ढे व्यक्तिगत/सामुदायिक अपशिष्ट, तलाघट तालाब आदि।	ग्रामीण निधि ✓
एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०	ग्रामीण विकास मन्त्रालय ✓	मकृतिक संसाधन प्रबंधन एन०आर०एस० घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधिया	अनुशोधन रबात से VWSC
स्कॉकूल वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइग०डब्ल्यू०एस०पी०	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आरडब्ल्यूएस० / कृत्रिम पुनर्जनन, जल निकायों का निर्माण / दृष्टि आदि	
जल भंडारों की सम्पत्ति नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरएक०एस०ई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	
स्थानमत्री कृषि सिंचाई योजना पी०एस०क००एस०याई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मन्त्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखम-सिंचाई का प्रावधान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
कृषि पूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय	वनीकरण, वन पारिवर्तनिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास आदि।	
स्थानमत्री कौशल विकास योजना पी०एम०क००एस०याई०	कौशल विकास और उद्यमिता मन्त्रालय	आर०डब्ल्यू०एस० योजनाओं के लिए ✓	

		आवश्यक नामद संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि	<input checked="" type="checkbox"/>
समय विकास	ममत संसाधन विकास मन्त्रालय	स्कूलों ने प्रेयजल आपूर्ति का प्रावधान	<input checked="" type="checkbox"/>
जाकड़ी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकादीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियों	
जिला स्थानिक विकास नियोग टीएस०७०५५०	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियों	
स्म०३५४५६०४०५०५००	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय एस०३००४८०३००३००३००	अतःग्राम अवसरचना	
स्म०४८०४८०५८०५०५००	राज्य	अतःग्राम अवसरचना	
संविधान के अनुच्छेद २७५ । के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना टीएस०४८० दोनदाता/प्रायोजक	जनजातीय मामलों का मन्त्रालय और राज्य	अतःग्राम अवसरचना	

अंक्यन्त के हफ्ताकार



पीएच०ई०५०० / आरएडब्ल्यू०एस० विभाग के जाधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई०एस०००० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि सागू हो

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, ग्रामीण वीडब्ल्यू०एस००५०/पानी समिति/प्रयोजन समूह आदि का अध्यक्ष

ग्राम पंचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर

जमीनी रुकनीशियन का नाम और फोन नम्बर

पानी की गुणवत्ता की चौकरी सुनिश्चित करने के लिए ५ महिलाओं के नाम और फोन नम्बर

- १ श्रीला ३००५७ ३८४२४
 - २ लहमी लुटा ९३२४०८९४५८
 - ३ रमावती ७०५४०३९६५३
 - ४ सरोज ७३६८०९३५६७
 - ५ मावा ८०८१२८०४३२
- ६ आपरेटर का नाम और फोन नम्बर